प्रभावशाली तथा उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए उसमें उपयुक्त संशोधनों के संबंध में सुझाव देने हेतु केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की सिफारिश पर एक कार्य दल तथा मंत्रिमण्डल सचिवालय के निर्देश पर एक विशेषज्ञ दल गाठित किया था। दोनों दलों की रिपोर्टो पर विचार करने के बाद टिप्पण का एक मसौदा तैयार किया गया हैं और उसको विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के विचार जानने के लिए उन्हे भेजा गया हैं।

**सोया तेल कारखाने**

2013. **श्री राघवजी** : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य वार सोया तेल के कितने कारखाने हैं;

(ख) वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान उक्त कारखानों द्वारा अपनी कुल क्षमता में से कितनी औसत क्षमता प्राप्त की गई; और

(ग) क्या सोयाबीन आयात करने का कोई प्रस्ताव हैं ताकि उपरोक्त कारखाने अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग कर सके; यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगाति हुई हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव )** : (क) वर्ष 1997-98 में सोयाबीन का विधायन करने वाले विलायक निस्सारण संयंत्रों की संख्या 171 हैं आगे विवरण में राज्यवार स्थिति दी गई है। (नीचे देखिए)

(ख) वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान सोयाबीन का विधायन करने वाले विलायक निस्साण संयंत्रों की औसत क्षमता उपयोगिता निम्नानुसार रही हैं:-

| वर्ष | क्षमता के उपयोग की प्रतिशतता |
|---|---|
| 1995-96 | 26.2 |
| 1996-97 | 25.7 |
| 1997-98 | 28.0 (अनन्तिम) |

(ग) सरकार ने निर्णय लिया हैं कि सोयाबीन का विधायन और इससे तैयार होने वाली खाद्य सामग्री (मील) का निर्यात करने के लिए वास्तविक उपभोक्ताओं को एक मिलियट टन सोयाबीन आयात करने की अनुमति दी जाए।

**विवरण**

**1997-98 के दौरान सोयाबीन का विधायन करने वाले विलायक निस्सारण संयंत्रें की संख्या**

| जोन/राज्य | यूनिटों की संख्या |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 6 |
| पंजाब | 2 |
| राजस्थान | 19 |
| हरियाणा | 2 |
| उड़ीसा | - |
| पश्चिम बंगाल | 1 |
| गुजरात | 19 |
| मध्य प्रदेश | 68 |
| महाराष्ट्र | 35 |
| आन्ध्र प्रदेश | 12 |
| कर्नाटक | 5 |
| तमिलनाडु | 2 |

**Reviewing Minimum Purity Standard for Pickles in Oil**

2014. SHRI CO. POULOSE: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether minimum purity standards for "Pickles in Oil" prescribed by rules under Prevention of Food Adulteration Act, 1955 have created certain troubles in the production of the same, because people in Kerala find this standard not suitable to their tastes and food habits;

(b) whether the Central Committee for food standards has refused to review the existing standards and Government of Kerala has requested for a further review; and

(c) whether Government will direct the Committee for a review of its earlier decision of allow the State Government to formulate their own rules under the PEA Act?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND THE MINISTER OF FOOD (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) to (c) The standards for "Pickles in Oil" laid down under P.F.A. Rules, 1955 are the minimum statutory standards applicable